



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5080/MP/57/2025-RU-I

दिनांक: 11.09.2025

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-छिंदवाड़ा,
कलेक्टर कार्यालय,
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश-480001,
ई-मेल: dmchhindwara@nic.in
संपर्क सूत्र: 0716-2242302

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पेंच टाइगर रिजर्व, नागपुर प्रथम तल,
नया प्रशासनिक भवन (नया वन भवन),
जीरो माइल, सिविल लाईस,
नागपुर, महाराष्ट्र- 440001
ई-मेल: ccffdpench2@mahaforest.gov.in
संपर्क सूत्र: 0712-2997612

विषय: पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा विस्थापितों को तोतलाडोह डेम से मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित करने के संदर्भ में श्री आसाराम उईके, ग्राम-गुमतरा, पोस्ट-पाथरी, तहसील-बिछुआ, जिला-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन।

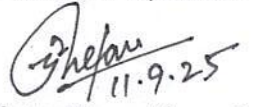
संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 25.06.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 19.09.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री आसाराम उईके,
ग्राम-गुमतरा, पोस्ट-पाथरी,
तहसील-बिछुआ, जिला-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
संपर्क सूत्र: 9409401288

कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।